बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

23 फाल्गुन, 1939 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

14 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 25

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	09
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	09
3.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	02
4.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	03
5.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	....	....	01
6.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**25**

बस पड़ाव का निर्माण

अ * 42. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि राज्य के वैसे प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय जहां रेल-यात्रा की सुविधा नहीं है वहां के बस-पड़ाव में मुकम्मल सुविधा का अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित अधिकांश स्थानों पर ही मुख्य सड़क पर बस-स्टैण्ड के रहने से आमजनों को अकसर जाम का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थानों पर आधुनिक बस-पड़ाव का निर्माण कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अंचलाधिकारी पर कार्रवाई

ब * 111. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि ग्राम-पो.-अजनौरा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा के श्री बृजनन्दन प्रसाद, पिता-स्व. मोनू सिंह एवं चन्द्रिका प्रसाद, पिता-स्व. श्री गोप को खतियानी 4-4 डिसमिल जमीन बंटवारा करके मिली और उस पर मकान बना हुआ है तथा बंटवारा में ही बृजनन्दन प्रसाद के मकान से 4 फीट का खानदानी रास्ता है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री बृजनन्दन प्रसाद ने वर्ष 1974 में 2 डिसमिल जमीन केवाला कराया था जो उनके खानदानी रास्ता के अंतिम स्थान पर है और उस 2 डिसमिल जमीन पर ही बृजनन्दन प्रसाद का दालान वर्षों से अवस्थित है;

(ग) क्या यह सही है कि बृजनन्दन प्रसाद अपनी केवाला की गई जमीन पर चारदीवारी निर्माण करने लगे तो चन्द्रिका प्रसाद द्वारा आपत्ति की गयी और आपत्ति के निराकरण हेतु बृजनन्दन प्रसाद ने अंचलाधिकारी, नूरसराय के यहां जमीन की नापी के लिए शुल्क जमा कर आग्रह किया;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी ने उक्त जमीन की नापी कराये बगैर बृजनन्दन प्रसाद के घर के सामने और चन्द्रिका प्रसाद के घर के बगल के 4 फीट की गली को चन्द्रिका प्रसाद का बता दिया और बृजनन्दन प्रसाद का रास्ता पूरी तरह रोक दिया;

.....

अ-ब क्रमश: दिनांक-5 एवं 7 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बृजनन्दन प्रसाद की जमीन की नापी कराकर मांग (2 डी. जमीन) के विपरीत इनके एक मात्र रास्ता के संबंध में गलत प्रतिवेदन देकर विवाद खड़ा करने वाले अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?

राजकीय मेले का दर्जा

ब * 120. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में मकर संक्रांति मेला का उद्घाटन वर्ष 1956 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्रीबाबू के द्वारा किया गया था जिसके बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष मेला धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों के साथ बहुत बड़ी आबादी शामिल होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

किन-किन मदों में कितनी राशि

*****209. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर पटना नगर निगम द्वारा 30 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रावधान के अनुकूल निगम राशि खर्च नहीं कर सका है;

(ख) क्या यह सही है कि सिवरेज और ड्रेनेज के निर्माण एवं उसके रख-रखाव पर 33 करोड़, जलापूर्ति पर 15 करोड़, सड़कों पर लाइटिंग पर 30.75 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया था, लेकिन इनमें निगम द्वारा सिर्फ लाइटिंग पर प्रकाश पर्व की तैयारी पर बड़ी राशि खर्च की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि खंड 'क' एवं 'ख' के प्रावधान पर किन-किन मदों पर कितनी राशि खर्च की जा सकी है और शेष कितनी राशि कबतक खर्च करने का विचार रखती है, ताकि जन सुविधाएं सुलभ हो सकें ?

ब- दिनांक-7 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

विशेष न्यायालय का प्रावधान

*210. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में निजी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु सरकार के स्तर से किसी भी प्रकार का कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके कारण न्यायालय में दीवानी वाद के तहत मामला वर्षों-वर्षों तक लंबित रह जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में प्रभावित एवं पीड़ित भूधारियों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु किसी कानून अथवा विशेष न्यायालय का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

मुआवजे का भुगतान

*211. **श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत ग्राम-रसूलपुर, पो.-थाना-नयागांव के निवासी श्री विजय साह उर्फ दुर्गा साह की मृत्यु दिनांक-25.3.2017 को हो गई जो परसा से स्कूटी द्वारा नयागांव अपने घर जा रहे थे और केवटिया गांव के पास अज्ञात वाहनों द्वारा दुर्घटना ग्रस्त हो गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि श्री साह की प्राथमिक चिकित्सा हेतु उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरियापुर में भर्ती कराया गया, जिनकी काफी दयनीय स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना रेफर किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि श्री साह का मामला दरियापुर थाना में थाना कांड सं.-82/2017, दिनांक-27.3.2017 दर्ज किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि श्री साह को पटना मेडिकल कॉलेज, पटना लाने के क्रम में हाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गयी और अबतक उनके परिवार को मुआवजा की राशि नहीं दी गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री साह की पत्नी, जो अत्यन्त ही गरीब हैं, को सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत में सरकार द्वारा घोषित चार लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अवैध निर्माण पर रोक

*212. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की राजधानी पटना में दिनों दिन अवैध निर्माण का धंधा बेखौफ जारी है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम पटना शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोक पाने में अक्षम साबित हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में गत 15 वर्षों से 3500 अवैध निर्माण से संबंधित मामले आए जिनमें से अभी तक मात्र 929 मामले का ही निपटारा हो पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजधानी पटना में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए तथा इससे संबंधित शिकायतों का निबटारा के लिए त्वरित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

उत्तर : (क) आंशिक स्वीकारात्मक।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक।

(ग) आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2017 तक 945 मामलों का निबटारा किया गया है।

(घ) समय-समय पर प्राप्त शिकायत पत्रों एवं निगम के अभियंत्रण जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित निर्माण के विरुद्ध निगरानी वाद प्रारम्भ कर अवैध निर्माण को तत्काल रोकने हेतु संबंधित थाना को सूचना देते हुए वाद का निपटारा की कार्रवाई की जाती है।

पशु शवदाह गृह बंद

*213. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गंगा नदी एवं पटना शहर को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रामाचक बेरिया में पशु शवदाह गृह का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इस शवदाह गृह का निर्माण बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से तीन साल पूर्व कराया गया था और यह देश का तीसरा और पूर्वी भारत का पहला सबसे आधुनिक पशु शवदाह गृह है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम और बिहार राज्य जल पर्षद की खींचतान से राज्य का एकमात्र पशु शवदाह गृह बंद हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताए कि उक्त पशु शवदाह गृह के बंद होने का क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार उसे अविलंब चालू कराना चाहती है ?

गोदाम का उपयोग

*214. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि राज्य खाद्य निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 500 मे. टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि अररिया जिला के सिकटी, कुर्साकाटा व नरपतगंज में भी गोदाम बनकर अभी तक बेकार पड़े हुए हैं, दु:खद है कि करोड़ों रुपये खर्च कर चार वर्षों के बाद भी एक किलो अनाज तक नहीं रखा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि 12 अगस्त, 2017 को आयी प्रलयकारी बाढ़ को जिलावासी कभी भूल नहीं सकते, उस समय पीड़ितों तक अनाज पहुंचाना समस्या बनी हुई थी, वहीं पर करोड़ों रुपयों से बना यह गोदाम सरकारी लालफीताशाही के कारण कोई काम नहीं आया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहेगी कि संपूर्ण बिहार राज्य में 500 मे. टन क्षमता के कितने गोदाम बने हैं और उनमें से कितने का अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है, साथ ही अररिया जिला का गोदाम कबतक उपयोग में लाया जायेगा ?

आई.टी. क्षेत्र का विकास

*215. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रदेश में आई.टी. क्षेत्र के विकास के लिए नई नीति बनायी गई है जिसके अनुसार आई.अी. सेक्टर की इकाई को उत्पादन की तिथि से पांच साल तक एस.जी.एस.टी. में शत प्रतिशत छूट एवं नियोजन लागत में अनुदान दिया जायेगा;

(ख) क्या यह सही है कि आई.टी. क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से पहले ही इकाई को स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण और भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट दी जायेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि नई नीति के बाद निवेशकों ने विकास में रुचि दिखलायी है, यदि हां तो कितने ?

भवन निर्माण पर रोक

*216. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान जिला बांका के मौजा सोनडीहा, थाना 118, थाना व अंचल बाराहाट, खाता संख्या-179, खेसरा नं.-3337, कुल रकबा 0.09 एकड़ जमीन गैर मजरूआ थी;

(ख) क्या यह सही है कि स्व. जवाहर प्रसाद सिंह, पिता स्व. भोला प्रसाद सिंह, निवासी बांका के नाम से मौजा ओराबाडी में खाता संख्या-265, खेसरा संख्या-1785 के अंतर्गत 2.25 एकड़ जमीन थी तथा मौजा महुआ टोल कनोलिया में भी तीन एकड़ से अधिक जमीन थी जिसका जमाबंदी नं.-394 एवं 17 है जो अंचल कार्यालय बाराहाट में दर्ज है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में दर्शायी गयी अचल सम्पत्ति (जमीन) रहने के बावजूद खंड 'क' की जमीन को प्राप्त करने हेतु बंदोबस्तीधारी ने अपने आपको भूमिहीन बताकर तथा अंचलाधिकारी, बाराहाट के कर्मचारी की मिलीभगत से खंड 'क' में वर्णित जमीन को बंदोबस्तीधारी के नाम से कर दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित जमीन पर बंदोबस्तीधारी द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से आलीशान भवन का निर्माण कराया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत ढंग से ही गई बंदोबस्ती को रद्द करना तथा उक्त जमीन पर बन रहे आलीशान भवन के निर्माण पर यथाशीघ्र रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पार्क का नामकरण

*217. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में अवस्थित 'बाबा साहेब अम्बेदकर मृग बिहार पार्क' का नाम स्थापित नियमों के विपरीत बदलकर वर्तमान में मृग बिहार पार्क कर दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पार्क का नाम पूर्व की तरह करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वासगीत का पर्चा

*218. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिले के खगड़िया प्रखंड अंतर्गत 1978 में गंगा कटाव के कारण रहीमपुर सोनवर्षा टोला के 204 (दो सौ चार) परिवार विस्थापित हुए थे;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित विस्थापित परिवारों को सरकार ने खगड़िया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत मौजा में अर्जित भूमि पर बसाया था;

(ग) क्या यह सही है कि अर्जित भूमि पर बसाये गये परिवार को अबतक सरकार द्वारा वासगीत का पर्चा 39 वर्षों बाद भी नहीं दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बसे हुए परिवार को वासगीत का पर्चा देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों का स्थानांतरण

*219. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिले के एकमा अंचल के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक-सह-राजस्व कर्मचारी का एकमा अंचल से अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने के संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा कई आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को दिया गया है, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार एकमा अंचल के पदाधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है ?

चिह्नित भूमि का वितरण

*220. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना प्रमंडल के छः जिलों में रोहतास महादलितों के लिए चिह्नित भूमि के निष्पादन में सबसे पीछे है;

(ख) क्या यह सही है कि रोहतास जिले में दो चरणों में महादलितों को भूमि वितरित तो की गई, लेकिन अभी तक 308 लाभार्थी भूमि लेने से वंचित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि रोहतास में अधिशेष भूमि सबसे अधिक 3968 एकड़ है, इसमें मात्र 84 एकड़ ही लाभार्थियों को वितरित की गई जो मात्र 2 प्रतिशत है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में महादलितों के लिए चिह्नित भूमि के निष्पादन में तेजी लाने एवं लक्ष्य पूर्ण करने का विचार करती है, यदि हां तो क्या यह चालू वित्तीय वर्ष में संभव है, नहीं तो क्यों ?

राशन कार्ड

*221. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि राज्य में राशन कार्ड निर्गत किया जाता है;

(ख) वर्ष 2017-2018 में कितने परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है;

(ग) राज्य में कितने परिवार बी.पी.एल. कार्डधारी और कितने परिवार ए.पी.एल. कार्डधारी हैं;

(घ) क्या यह सही है कि दोनों कार्डधारी को परिवार के आधार पर किरासन तेल का कूपन दिया जाता है, अभी प्रत्येक परिवार को कितना किरासन तेल दिया जाता है और जिस परिवार का राशन कार्ड (कूपन) नहीं बना है, उन लोगों का कबतक राशन कार्ड बनाना है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में राशन कार्ड बनाकर किरासन तेल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

स्वच्छ भारत अभियान

*222. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना के हार्डिंग रोड स्थित चितकोहरा पुल के आसपास कई माननीय न्यायाधीशों, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों, विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के आवास हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल के नीचे अवैध निर्माण कर लिया गया है जिसमें अपराधी तत्वों का आना-जाना लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि आये दिन माननीयों के आवासों के सामने पुल के नीचे रहने वाले लोगों द्वारा शौच कर गंदगी फैलायी जा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि जहां खुले में शौच को सरकार भी अपराध मानती है, वहीं मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित इन आवासों के सामने शौच कर असामाजिक तत्वों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का मखौल उड़ाया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीयों के आवासों के सामने शौच कर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इन आवासों को स्वच्छ रखना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

गृह जिला में पदस्थापन

*223. **डा. सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-434, दिनांक-1.3.2007 एवं पत्रांक-881, दिनांक-3.6.2009 के प्रावधानानुसार राज्य के अधिकांश सरकारी सेवकों (जिला संवर्ग एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को छोड़कर) का उनकी सेवानिवृत्ति के वर्ष को छोड़कर, उनके गृह जिला में पदस्थापन नहीं हो सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में जिन सरकारी सेवकों का गृह जिला पटना है, उनका पदस्थापन राज्य के राजधानी क्षेत्र में पूरे सेवाकाल में (सेवानिवृत्ति वर्ष को छोड़कर) नहीं हो सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थिति उन सरकारी सेवकों के साथ भेदभावपूर्ण है, जिनका गृह जिला पटना है;

(घ) क्या यह सही है कि कतिपय विभागों यथा कृषि विभाग के संकल्प संख्या-11721, दिनांक-18.10.93 की कंडिका-3 (ii) द्वारा कृषि विभाग के कर्मियों के संबंध में प्रावधान है कि पटना शहरी क्षेत्र के कार्यालयों को गृह जिला संबंधी प्रावधान से मुक्त रखा गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधानों को संशोधित करते हुए राज्य के राजधानी क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों में अन्य जिलों के साथ पटना जिला के सरकारी सेवकों के पदस्थापन का प्रावधान करने का विचार रखती है, ताकि भेदभाव को दूर किया जा सके ?

बेगूसराय का मास्टर प्लान

*224. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रमुख शहरों को सुव्यवस्थित, सुन्दर, साफ-सुथरा, कायाकल्प करने एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमरूत) योजना के तहत मास्टर प्लान बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाकर 2020 तक योजना पूर्ण कर लिया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि जिन शहरों का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी शुरू हुई है, उसमें बेगूसराय का नाम शामिल नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजे की अद्यतन स्थिति

*225. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बाढ़ से तबाह मधुबनी जिला के पीड़ित लोगों को मुआवजे का इंतजार है;

(ख) क्या यह सही है कि कष्टदायी बाढ़ से जिले के लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि प्रभावित लोगों को अभी तक अनुदान नहीं मिल पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि मधुबनी जिला में बाढ़ से प्रभावित कितने लोगों को मुआवजा दिया गया तथा इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

पंप संचालकों का समायोजन

*226. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य जल पर्षद में हस्तांतरित किये गए अट्ठाईस (28) पंप संचालकों को पटना नगर निगम की जलापूर्ति शाखा में समायोजित करने हेतु निगम की सशक्त स्थायी समिति की दिनांक-18.10.2017 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में उनसे जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मांग की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि सारे प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने के बावजूद पंप संचालकों को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है तथा अप्रैल, 2017 से अबतक पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंप संचालकों का समायोजित एवं पारिश्रमिक भुगतान शीघ्र ही कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सैरात की घोषणा

*227. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के अंचल बैरिया अन्तर्गत मौजा बघम्बरपुर के बथानी चौक पर सप्ताह में रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सड़क के किनारे बाजार लगने के कारण यातायात बाधित होता है तथा सवारियों के आवागमन के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचल बैरिया के पंचायत बगही बघम्बरपुर के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया इत्यादि जनप्रतिनिधियों ने अंचलाधिकारी, बैरिया को आवेदन देकर खाता संख्या-8, खेसरा संख्या-2658, रकबा-3.25 डी. (तीन एकड़ पच्चीस डी.) गैरमजरूआ आम जमीन पर बाजार प्रतिस्थापित करते हुए सैरात घोषित करने की मांग की है;

(ग) क्या यह सही है कि बगही बघम्बरपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की अनुशंसा के आलोक में अंचलाधिकारी, बैरिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया के संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक-18.1.16 के जांचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर एवं भूमि उप समाहर्ता, बेतिया सदर को उक्त भूमि पर बाजार प्रतिस्थापित कर सैरात घोषित करने हेतु अनुशंसा दी है;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, बैरिया ने अपने पत्रांक-664, दिनांक-10.10.2017 के द्वारा मौजा बगही बघम्बरपुर में सैरात के नवसृजन हेतु अभिलेख त्रुटि निराकरण के पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर को अपर समाहर्त्ता, बेतिया के पत्रांक-622/रा., दिनांक-15.3.17 के प्रसंग में भेज दिया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित भूमि को सैरात घोषित कर राजस्व में बढ़ोत्तरी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लंबित मामलों का निस्तारण

*228. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता फोरम में 1988 से जनवरी, 2018 तक लगभग 24 हजार मामले दर्ज किये गये, इनमें से करीब बीस हजार मामलों का निस्तारण कर दिया गया जबकि अभी तक लगभग 4 हजार मामले लंबित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि किसी भी मामले में 90 दिनों में फैसला देने का कानूनी प्रावधान है लेकिन लोगों को पांच-पांच महीने बाद की तारीख मिल रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित लगभग 4 हजार मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्त

*229. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला के जमुई प्रखंड अन्तर्गत कुंदरी सनकुरहा मुसहरी के काला आहर एवं पथ निर्माण विभाग रोड पर महादलित एवं दलित परिवार के द्वारा अवैध ढंग से अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सभी बिन्दुओं की जांच कराकर अतिक्रमण से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अवैध कब्जा

*230. **श्री सच्चिदानंद राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड-लहलादपुर की पंचायत मिर्जापुर, ग्राम मुरारपुर में करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन है, जो आंशिक या पूर्ण रूप से जलमग्न रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के जल निकास के मार्ग पर कतिपय तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जलमग्न जमीन से अवैध कब्जा हटाते हुए जनहित में उक्त जमीन का उपयोग करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 14 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्